

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविर-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/21307/2023-24/

दिनांक : 25.08.2023

—:: आदेश ::—

निम्नांकित 09 राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रस	जिला	ब्लॉक	यूआईस कोड	क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालय का नाम
1	JALOR	CHITALWANA	8180804601	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHARNIM (472993)
2	JALOR	SANCHORE	8180504402	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DADUSAN (412435)
3	JALOR	CHITALWANA	8180808501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL VILLAGE BHAWATRA (500729)
4	JALOR	CHITALWANA	8180810401	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NALDHARA (500714)
5	JALOR	SANCHORE	8180520501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KARAVADI (474191)
6	JALOR	CHITALWANA	8180809701	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ANKHOL (473369)
7	JALOR	CHITALWANA	8180807003	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL G U P S NIMBAJ GAON (500872)
8	JALOR	CHITALWANA	8180800701	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMLI GRAM (472776)
9	JALOR	SANCHORE	8180500104	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHOORA KI DHANI (474015)

शर्त :-

- विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2023-24 से प्रारंभ होगा।
- स्वीकृति के वर्ष कक्षा 09, 10 को एक साथ प्रारंभ किया जावेगा एवम् आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा-11 एवं 12 प्रारंभ की जा सकेंगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
- राजप्रावि से राजमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राजप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राजप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III को क्रमोन्नत राजमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
- क्रमोन्नत होने वाले राजप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राजमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
- शेष शिक्षक ग्रेड-III लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
- पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
- उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारंभ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

Signature valid

Digitally signed by K. Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.25 14:44:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4580108



9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही दिये होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व **विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड** आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एम.पी. एल.ए.डी, एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

(काना राम)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक : 25.08.2023

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/21307/2023-24/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
11. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार विद्यालय क्रमोन्नत किए जाने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, विद्यालय में पूर्व से संचालित संकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की भली-भांति जांच कर लेवें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाने पर संशोधित प्रस्ताव अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए अवगत करावें।
13. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
14. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
15. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.08.25 14:11 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4580108

